

मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय

कार्यालय: टैगोर छात्रावास क्रमोंक टी-2, श्यामला हिल, भोपाल-462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755-2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2019/185 से 216 तक
प्रति,

दिनांक- 15/2/19

कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश। (32 As Per List)

विषय- प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के आगामी ब्लॉक के अर्थात् सत्र 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के शुल्क विनियमन के संबंध में।

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम-2007 के तहत गठित प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2008 के विनियम की कंडिका 5 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश में स्थित निजी विश्वविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं के द्वारा संचालित एवं किसी नियामक/निकाय यथा एम.सी.आई., डी.सी.आई., एन.सी.आई., सी.सी.आई.एम. पी.सी.आई. ए.आई.सी.टी.ई., एन.सी.टी.ई. एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया इत्यादि द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आगामी तीन साल के ब्लॉक अर्थात् सत्र 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के शुल्क विनियमन के संबंध में ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से 20.02.2019 से आवेदन पत्र आमंत्रित करती है।

निजी विश्वविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाएँ प्रत्येक पाठ्यक्रम जिसकी शुल्क का विनियमन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है के लिये समिति की वेबसाइट www.afrcmp.org पर निर्धारित लॉगिन आईडी (यूजर आईडी) के माध्यम से आवेदन पत्र एवं निर्धारित प्रोफार्मा भरेगी। संस्थाएँ शुल्क विनियमन हेतु निर्धारित परीक्षण/निरीक्षण शुल्क की राशि यू.जी. पाठ्यक्रमों के लिए रु. 50000/- एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों के लिये रु. 25000/- ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से समिति, सचिवालय के बैंक खाते में जमा करायेंगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्था को प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रोसेसिंग शुल्क की राशि के अतिरिक्त पोर्टल/मेन्टीनेंस शुल्क की राशि भी ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराया जाना है, जिसे संबंधित फर्म को पोर्टल /मेन्टीनेन्स शुल्क के रूप में तीन वर्ष के लिये दिया जा रहा है।

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 02.01.2019 को लिये गये निर्णय के अनुरूप संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के अंकेक्षित आय-व्यय पत्रक (Audited Balance Sheet) तथा पत्रक के साथ, संस्था के लिए निर्धारित प्रपत्रों को पूर्णतया भरकर आवश्यक सह पत्रों के साथ उपरोक्त तिथियों तक निजी विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं को शुल्क विनियमन से संबंधित प्रस्ताव वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। निजी विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के लिए सत्र 2018-19 से संबंधित वित्तीय जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु अप्रैल 2019 माह के द्वितीय/तृतीय सप्ताह में पुनः ऑनलाईन के माध्यम से जानकारी भरने हेतु पोर्टल पर लॉगिन कर चाही गई जानकारी अपलोड किया जाना है, जिसकी सूचना समिति, सचिवालय की वेबपोर्टल पर दी जावेगी। निजी विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं से अपेक्षा है कि वे इसके लिये समिति, सचिवालय की वेबपोर्टल को देखते रहेंगे।

निजी विश्वविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत निजी क्षेत्र की चिकित्सा/दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शुल्क विनियमन के लिए आनलाईन फार्म 08.03.2019 तक उपलब्ध रहेंगे तथा अन्य समस्त संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाईन फार्म 12.04.2019 तक उपलब्ध रहेंगे।

निजी विश्वविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत निजी क्षेत्र की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली चिकित्सा/दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थाएं ऑनलाईन फॉर्म भरने के पश्चात् आवश्यक जानकारी एवं भरे हुए प्रोफार्मा के प्रिन्ट आउट प्राप्त कर, रुपये 100/- का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र भरकर दिनांक 12.03.2019 तक समिति, सचिवालय में जमा करना है। शेष संस्थाओं को ऑनलाईन फॉर्म भरने के पश्चात् आवश्यक जानकारी एवं भरे हुए प्रोफार्मा के प्रिन्ट आउट प्राप्त कर, रुपये 100/- का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र भरकर दिनांक 16.04.2019 तक समिति, सचिवालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। (शपथ पत्र का प्रारूप समिति, सचिवालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है)।

निजी विश्वविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत ऐसी संस्थाएँ जिनके द्वारा प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अधिनियम के तहत संचालित पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व में अनुमोदन प्राप्त हुआ है परन्तु इन पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का विनियमन समिति से नहीं कराया है, को आगामी ब्लॉक के शुल्क विनियमन हेतु फार्म भरने के पूर्व इस सचिवालय में संस्था में संचालित इन पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाईन फार्म भरने के संबंध में लॉगिन आईडी (यूजर आईडी) एवं पासवर्ड प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रियानुसार शुल्क विनियमन कराने की कार्यवाही करना है।

साथ ही निजी विश्वविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालय की ऐसी संस्थाएँ जिनके द्वारा प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अधिनियम के तहत संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2019-20 से पाठ्यक्रम के संचालन का अनुमोदन प्राप्त हुआ है एवं ऐसी संस्थाएँ आगामी ब्लॉक के शुल्क विनियमन प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहती हैं, को भी इस सचिवालय में संस्था के इस पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाईन फार्म भरने के संबंध में लॉगिन आईडी (यूजर आईडी) एवं पासवर्ड प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यवाही करना है।

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार शुल्क विनियमन हेतु संस्थाओं को समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रोफार्मा में ही समस्त जानकारी भरना है। ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट पर उपलब्ध फार्म के प्रिन्ट आउट की हार्डकॉपी निकालकर तत्संबंधित जानकारी भर लें तथा पोर्टल पर अपलोड किये जाने वाले संलग्नकों को स्कैन कर पीडीएफ में रख लें ताकि ऑनलाईन फार्म भरने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। संस्थाओं को ऑनलाईन फार्म भरने के निर्देश भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, संस्था इन निर्देशों को पढ़ लें तथा उनका अवलोकन कर ऑनलाईन फार्म भरने की कार्यवाही करें।

निजी विश्वविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालय की ऐसी संस्थाएँ जो यह प्रक्रिया दिनांक 08.03.2019 तक पूर्ण कर लेंगी उनके लिये 31 मार्च 2019 तक की वित्तीय जानकारी ऑनलाईन प्रक्रिया अपलोड करने के उद्देश्य से पुनः 08.04.2019 से प्रारंभ की जावेगी। ऐसी संस्थाएँ जिनके यहां चिकित्सा/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक शिक्षा के स्नातकोत्तर पी.जी. पाठ्यक्रम संचालित हैं, उन्हें 31 मार्च 2019 तक की वित्तीय जानकारी (प्रोफार्मा-सी) में भरकर 16 अप्रैल 2019 तक ऑनलाईन जमा करनी है तथा उसकी प्रति 18 अप्रैल 2019 तक समिति, सचिवालय में जमा करनी है। शेष संस्थाओं को उनके यहां संचालित पाठ्यक्रमों को 31 मार्च 2019 तक की वित्तीय जानकारी (प्रोफार्मा-सी) में भरकर 25 अप्रैल 2019 तक ऑनलाईन जमा करनी है तथा उसकी प्रति समिति सचिवालय में 30 अप्रैल 2019 तक जमा करनी है।

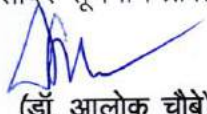
दर्शाई गई तिथियों (पोर्टल पर ऑनलाईन तथा समिति, सचिवालय में हार्डकॉपी जमा कराने की तिथि) के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जावेगा एवं एक्ट में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही संभावित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।


(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
दिनांक - 15/2/19

पृ.क्रमांक/सचि./ओएसडी/2019/217

प्रतिलिपि-माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी



// शपथ-पत्र //

मैं श्री पुत्र श्री आयु
 निवासी वर्तमान में समिति का
 अध्यक्ष/सचिव शपथपूर्वक निम्नानुसार कथन करता हूँ :-

(1) यह कि मेरे द्वारा मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) तदोपरांत संशोधित अधिनियम, 2013 एवं अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद द्वारा सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं में शुल्क के विनियमन से संबंधित राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित भोपाल, मंगलवार दिनांक 15 अप्रैल 2008 एवं तत्पश्चात् जारी सभी संशोधनों को पूर्णतः एवं ध्यानपूर्वक पढ़ लिया एवं समझ लिया गया है जो कि समिति की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(2) यह कि मेरे द्वारा मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद द्वारा सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं में शुल्क के विनियमन से संबंधित राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित भोपाल मंगलवार दिनांक 15 अप्रैल 2008 के पृष्ठ क्रमांक 404(3) कंडिका क्रमांक-23 के अनुसार “उस दशा में जहाँ प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति यह पाती है कि उपरोक्त अनियमितता की मात्रा अत्यधिक है, जो फीस निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, तो प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति आवेदन को न मंजूर कर सकेगी और हमारी सोसायटी/ट्रस्ट/संस्था के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी कर सकेगी”, ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है एवं समझ लिया गया है।

(3) प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के द्वारा सत्र 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के शुल्क विनियमन कराये जाने से संबंधित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षर द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

(4) समिति सचिवालय द्वारा प्रेषित पत्रों के तहत दिये गये निर्देशों के अनुरूप संस्था द्वारा प्राप्त समस्याओं/शिकायतों में से समस्त समस्याओं/शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है एवं इसकी सूचना प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, सचिवालय को भेज दी गई है।

(शपथ ग्रहीता)

सत्यापन

यह कि मैं श्री पुत्र श्री
 आयु शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि उपरोक्त कंडिका क्रमांक 1 से 4 तक दी गयी जानकारी मेरे
 कथन के अनुसार सत्य एवं सही है।

(शपथ ग्रहीता)

टीप - उपरोक्त शपथ-पत्र को रु. 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पत्र पर
 टंकित करवाकर नोटरीज करवाकर प्रस्ताव के साथ भेजें।

S.No.	Id.No.	Name
1	MPPU01	JayPee University of Engineering and Technology, AB Road Post Box No. 01, Raghogarh, Dist. Guna (M.P.), email- registrar@juet.ac.in
2	MPPU02	RABINDRANATH TAGORE University, Village-MENDUA, Post-BHOJPUR, District-RAISEN, State-M.P 464993, e-mail- vijay@aisect.org
3	MPPU03	AMITY University, Maharajpura Dang Gwalior (M.P.) - 474005, e-mail- registrar@amp.gwa.amity.edu
4	MPPU04	Oriental University, Ravite Range, in front of Gate No 01 Post Arvindo, Sanvare Road, Village Jakhya, Indore (M.P.) 453555 e-mail- registrar@orientaluniversity.in
5	MPPU05	People's University, People's Group bypass Road, Bhanpur, Bhopal (M.P.) 462037 e-mail- registrar@peoplesuniversity.edu.in
6	MPPU06	ITM University, ITM Campus, NH 75, Jhansi Road, Gwalior (M.P.) 474001, e-mail- registrar@itmuniversity.ac.in
7	MPPU07	R.K.D.F. University, Airport bypass road, Gandhi Nagar, Bhopal - 462001 (M.P.), e-mail- drbnsingh@rkdf.ac.in
8	MPPU08	SVN University, NH-26 Nirsinghpur Road, Sironj Sagar-(M.P.) 470228
9	MPPU09	AKS University, Near Gopal School, Bidla Road Siddarth Nagar, Satna - 48500 (M.P. e-mail- registrar@aksuniversity.ac.in
10	MPPU10	Techno Global University, Lateri Road, (near Gosala), Sironj Dist. Vidisha, (M.P.), e-mail- ssutechno@gmail.com
11	MPPU11	Jagran Lake City University, Gram Panchayat Mugaliya Chhap, Tehsil Huzur, Bhopal, e-mail- registrar@jlu.edu.in

उत्तरांचल - 15/11/2019

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

जावहरास - दिनांक 15/2/2019

12	MPPU12	Sri Satya Sai University of Technology and Medical Sciences, Opp. Oilfed Plant, Bhopal-Indore Road, Pachama Dist.- Sehore (M.P.) 466002 e-mail- registrar@sssutms.co.in
13	MPPU13	Sarvepalli Radhakrishnan University, Sarvepalli Radhakrishnan University, NH-12, Hoshangabad Road, Jatkhedi, Bhopal, e-mail - registrar@srku.edu.in
14	MPPU14	LNCT University, J.K. Town, Kolar Road, Bhopal - 462042, -mail- rajkishorchaurlasia@gmail.com
15	MPPU15	Shri Vaishnav Vidyapeeth University, Shri Vaishnav Vidya Parisar, 177- Jawahar Marg, South Raj Mohalla, Indore (MP) 452 002, e- mail- registrar@svvv.edu.in
16	MPPU16	P.K. University, Village Thanra, Tehsil Karera, NH-25, Shivpuri, e-mail- registrar.pku@gmail.com, chetanpnemade@gmail.com
17	MPPU17	Mandsaur University, By Pass Square, Revas Devda Road, S.H.-31, Mandsaur, Email- registrar@meu.edu.in
18	MPPU18	Medicaps University, A.B. Road, Pigdambar Rau, Indore Email- registrar@medicaps.ac.in
19	MPPU19	Dr. APJ Abdul Kalam University, Indore- Devas By Pass Road, Village Arandia, Indore e-mail- registrar@aku.ac.in
20	MPPU20	Malwanchal University, NH-59- A, Nemawer Road, Indore, e-mail- registrar@malwanchaluniversity.com
21	MPPU21	G.H. Rasoni University, Mouza, Gram, Dhodhaborgaon, Village Saikheda, Tehsil Saunsar, District Chhindwara, e-mail- sophia.ansari@raisoni.net

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

आदेशिका — दिना 15/2/2019

22	MPPU22	Symbiosis University of Applied Sciences, Bada Bangadda, Super Corridor, Indore - 452001, e-mail- registrar@suas.ac.in
23	MPPU23	Avantika University, Vishwanathpuram, Survey No. 8, Lekoda Village,, Ujjain, Madhya Pradesh 456006, e-mail- registrar@avantika.edu.in
24	MPPU24	VIT Bhopal University, Kothri VIT Bhopal University, Kothri Kalan, District-Sehore 466144(M.P.) email- registrar@vitbhopal.ac.in
25	MPPU25	Renaissance University, Gram Reoti, Sanwer Road, Behind Arbindo Hospital, Indore (M.P.), pramod@indoreindira.com
26	MPPU26	Sage University, Kailog-Kartal, Indore-Dewas Bypass Rau, Indore-452020 (M.P.), email- registrar@sageuniversity.in
27	MPPU27	Madhyanchal Professional University, Ratibad Bhopal (M.P.), email- ntsc@rediffmail.com
28	MPPU28	Bhabha University, NH-12 Hoshangabad Road Jhatkhedi Bhopal (M.P.), email- shyam.patkar@yahoo.co.in
29	MPPU29	Mansarovar Global University, Village Ratnakhedi and Village Gadia Block Bilquisganj, Sehore (M.P.), email- admin@mguindia.com
30	MPPU30	Sardar Patel University, Knowledge City, Dongaria, Warasioni Road Balaghat (M.P.), Email- swati.jaiswal123@gmail.com
31	MPPU31	Dr. C.V. RAMAN University, Post- Chaigaon, Teh. Khandwa, Dist- Khandwa (M.P.), email- ravichaturvadee.aisect@gmail.com

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

32	MPPU32	Shree Krishna University, Chatarpur, N.H.86 Gram Chouka Sagar Road Chattarpur 471001 (M.P.) email- registrar@skuindia.com
----	--------	--

ଉତ୍ତରୀୟ - 15/12/2019
216